2

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड

प्र0न0 32 / अपील / 20 तारिख दायरा: 11.08.2020

उनवान अपील

महेन्द्र शर्मा आ0 राधेश्याम शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत आकखेड़ी प्रथम तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ (अपीलार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ जिला झालावाड़ (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी झालावाड़ प्रकरण संख्या 48 / 2020 दिनांक 29.07.2020 में पारित किया गया।

उपस्थित:– श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

–: निर्णय :– दिनांक: 03.09.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के आदेश दिनांक 29.07.2020 जो मिसल नं0 48/20 में पारित किया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेमो में निवेदन किया है कि जिला रसद अधिकारी झालावाड द्वारा गलत तौर से अपने निर्णय दिनांक 29.07.2020 से अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत आकखेडी प्रथम तहसील पचपहाड का उचित मूल्य हेतु जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्तराज करते हुए निरस्त करने का आदेश मनमाना केप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर निर्णय जैर अपील पारित कर कानूनी भूल की है,अपीलार्थी द्वारा किसी तरह की अनियमितता नही बरती है और ना ही किसी तरह का अवैध ट्रांसिक्शन किया गया है।अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियन) आदेश 1976 के खण्ड 8 की शक्तियों का गलत तौर से प्रयोग कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 की और से पेरोकार रसद उपस्थित हुए ।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा मिसल न0 48/20 निर्णय दिनांक 29.07.2020 जिससे अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम ग्राम पंचायत आकखेड़ी प्रथम तहसील पचपहाड का उचित मूल्य हेतु जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्तराज करते हुए निरस्त करने का आदेश मनमाना केप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर निर्णय जैर अपील पारित कर कानूनी भूल की है,अपीलार्थी द्वारा किसी तरह की अनियमितता नही बरती है और ना ही किसी तरह का अवैध ट्रांसिक्शन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियन) आदेश 1976 के खण्ड 8 की शक्तियों का गलत तौर से प्रयोग कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है।अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अवसर नही दिया जाकर 90 दिवस की अवधि से पूर्व ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है उक्त आदेश निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर से कमांक:एफ17()खा.वि/कोरोना/वायरस/2020 दिनांक 04.04.2020 से अबेयॉन्स राशन कार्डो पर हुए गेहूं के वितरण के सत्यापन बाबत निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की गई बाद जॉच अपीलार्थी द्वारा किये गये कृत्य बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई गई है, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, सर्वप्रथम अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया तत्पश्चात बाद सुनवाई प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर से कमांक:एफ17()खा.वि./कोरोना/वायरस/2020 दिनांक 04.04.2020 से अबेयॉन्स राशन कार्डो पर हुए गेहूं के वितरण के सत्यापन बाबत निर्देश प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी,द्वारा अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर बाद जॉच अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, प्रथमतः अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र 7274 दिनांक 10.04.2020 से 90 दिवस की अवधि के लिये निलम्बित किया गया तत्पश्चात बाद सुनवाई उचित मूल्य दुकानदार महेन्द्र शर्मा आ0 राधेश्याम शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत आकखेड़ी प्रथम तहसील पचपहाड़ द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान खाद्यान वितरण में प्रदान की गई विभागीय शिथिलता का दुरूपयोग करते हुए अवैध तरीके ट्रांजेक्शन किये जाने व इस बाबत कोई संतोषजनक जवाब अथवा ठोस साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नही करने से जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियन) आदेश 1976 के खण्ड 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राधिकार पत्र समस्त प्रतिभूति राशि जप्तराज करते हुए निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा की गई कार्यवाही विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार सम्पादित की गई है जो उचित है ऐसी स्थिति में उक्त उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़